as an *example of mediation*, in contrast to what is happening in India; that there is no mediation and there will not be a mediation. If I cited Tashkent, I cited Tashkent as an example of mediation between India and the Pakistan by the then USSR. What is taking place now is not a mediation. Please let me disabuse him of *this misimpression*. Indeed, every dignitary of any country who has come has said. Lately, for example, my distingusihed counterpart, the hon. Foreign Minister from the Peoples' Republic of China, who came here, also in a statement said that it was his expectation that the issue of Jammu and Kashmir shall be settled *between India and Pakistan*. Would you, therefore, interpret that expression of opinion of the Foreign Minister of China is an attempt to mediate? It is not ....(*Interruptions*)...It is not. ...(*Interruptions*)...As far as the United States of America is concerned, it is very clear, what I am saying is that there is no mediation. They themselves have said so. We do not accept mediation and shall not accept mediation. There is no role for a third party to play in this regard.

MR. CHAIRMAN: Now, we will take up the next question, *i.e.* Question No. 162 ...(*Interruptions*)...

SHRI B.P. SINGHAL: Sir, for the second time, I have raised my hand for putting a supplementary.

MR. CHAIRMAN: There were 15 Members who wanted to put supplementaries ....(*Interruptions*)...We have spent 35 minutes on this. ...(*Interruptions*)...

SHRI B.P. SINGHAL: Sir, very invidious message is going across to the nation because... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: There is no partiality with anybody ...(*Interruptions*)...

SHRI B.P. SINGHAL: When long speeches are made by senior Members ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: We have spent 35 minutes on one question. Now, Question No. 162.

घरेलू नौकर

*162. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 18 वर्ष से कम आयु के बहुत से बच्चे (बालक/बालिकायें) मध्यम और उच्च वर्गीय घरानों में नौकर का काम करते है;

(ख) यदि हां, तो देश में ऐसे बच्चों की कुल संख्या कितनी है जो 5 से 10 वर्ष एवं 11 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के हैं, और इनका राज्य-वार तथा आयु-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उनके कल्याण के लिए कोई संगठन नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार ऐसा संगठन कब तक बनायेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (डॉ० सत्यनारायण जटिया): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 की अनुसूची में सूचीबद्ध 13 व्यवसायों और 51 प्रक्रियाओं में नियोजन प्रतिषिद्ध है। जोखिमग्रस्त समझे जाने वाले व्यवसाय एवं प्रक्रियाएं बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अधीन गठित तकनीकी सलाहकार समिति की सलाह पर उक्त अधिनियम की अनुसूची में जोड़े जाते है। इस अनुसूची में ''घरेलू नौकर'' शामिल नहीं है।

(ख) दस वर्षीय जनगणना के दौरान बाल श्रमिकों की संख्या संबंधी तथ्यात्मक जानकारी संकलित की जाती है। 1991 की जनगणना के अनुसार देश में बाल श्रमिकों की कुल संख्या एक करोड़ बारह लाख है। घरेलू नौकरों के रूप में काम कर रहे व्यक्तियों से संबंधित आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) से (ङ) भारत सरकार काम से निकाले गए बालकों के पुनर्वास के लिए दो स्कीमें कार्यान्वित कर रही है जिनके नाम राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम और स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान स्कीम हैं। वर्तमान में लगभग 2.00 लाख बालकों के पुनर्वास के लिये 11 बाल श्रम बहुत राज्यों में 93 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। सरकार ने राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम को नवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान जारी रखने और परियोजनाओं की संख्या बढ़ाकर 100 करने का अनुमोदन प्रदान कर दिया हैं। सहायता अनुदान स्कीम के अन्तर्गत बाल श्रमिकों के लाभ के लिए कार्रवाई उन्मुख परियोजनाएं चलाने के लिए संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश पर स्वैच्छिक संगठनों को निधियां दी जाती हैं।

Domestic Servants

†*162. SHRI JANESHWAR MISHRA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

---

†Original notice of the question was received in Hindi.

(a) whether it is a fact that many children (male/female) below the age of 18 years work as servants in both middle and high class families;

(b) if so, the total number of such children in the country within 5 to 10 years and 11 to 18 years age group alongwith State-wise and age-wise details thereof;

(c) whether it is also a fact that no welfare organisation is available for them;

(d) if so, by when Government will set-up such an organisation; and

(e) if not, the reasons thereofor?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYA NARAYAN JATIYA): (a) to (e) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Employment of children below the age of 14, is prohibited in 13 occupations and 51 processes listed in the schedule to the Child Labour (Prohibition & Regulation) Act, 1986. The occupations and processes considered hazardous are added to the schedule to the Child Labour (Prohibition & Regulation) Act, 1986 on the advice of the Technical Advisor Committee constituted under sections 5 of the Act. The schedule does not include domestic servants.

(b) Authentic information on the number of working children is generated during the decennial census. As per the 1991 census, the total number of working children in the country is 1.12 crores. Figures of the number of persons working ad domestic servants are not maintained.

(c) to (e) Government of India has been implementing two schemes for rehabilitation of children withdrawn from work, namely the scheme of National Child Labour Project (NCLP) and the scheme of Grant-in-aid to Voluntary Organisations. 93 NCLPS are currently under implementation in 11 child labour endemic states for rehabilitation of approximately 2.00 lakh children. Government has approved continueance of the scheme of NCLP for the duration of the Ninth Five Year Plan and expansion of number of project up to 100. Under the Scheme of Gants-in-aid, funds are released to Voluntary Organisations, on the recommendation of the concerned State Government, for taking up action oriented projects for the benefit of working children.

श्री जनेश्वर मिश्र: सभापति महोदय, हमने जो सवाल पूछा है वह उन छोटे-छोटे बच्चों के बारे में है जो कि 5 साल से 18 साल की उम्र तक के हैं और लोगों के घरों में काम कर रहे हैं। मैंने यह सवाल इसलिए पूछा था कि थोड़े दिन पहले अखबार में छपा था कि 8 साल की बच्ची, जो घर में नौकरानी थी, उसको जान से मार डाला गया और इस बात ने हमको हिलाकर रख दिया। मैं उम्मीद करता था कि बच्चों पर होने वाले इस अत्याचार के खिलाफ श्रम मंत्री जी एक निश्चित जवाब देंगे, लेकिन जितना बच्चों के ऊपर अन्याय हो रहा है उतना ही मेरे प्रश्न के साथ भी अन्याय हो गया। इन्होंने साफ कह दिया कि घरों में काम करने वाले बच्चों के बारे में हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं रहती। यह इनके जवाब में लिखा हुआ है। इन्होंने कोई एक आंकड़ा सन् 1991 की जनगणना के आधार पर अपने जवाब में दिया है कि बाल श्रमिकों की तादाद 1 करोड़ 12 लाख हैं लेकिन इसमें घरेलू नौकरों को शामिल नहीं किया गया। श्रम मंत्री जी जब जवाब देते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि वे बच्चों को बच्चा ही समझेंगे। लेकिन उन्होंने जवाब में घरेलू नौकरी करने वाले व्यक्तियों के बारे में जिक्र नहीं किया। अब जब आंख में बच्चा व्यक्ति दिखाई देने लगे, पर्सन दिखाई देने लगे, तो बच्चे का दर्द समझा नहीं जा सकता। बच्चा अपनी बात कह नहीं सकता। वह यूनियन बना नहीं सकता। उसके लिए कोई श्रमिक कानून नहीं है। वह हमारा वोटर नहीं है कि देश की राजनीति उससे डरे। चाहे हमारी राजनीति हो, चाहे इन लोगों की हो या सरकार में बैठे हुए लोगों की हो। उनको इन्होंने व्यक्ति कह दिया। हम समझते हैं कि यह हम अपनी तरफ से कह रहे हैं। अगर हम भी 8 साल के होते और हमारे बाप ने हमें कहीं नौकरी के लिए भेज दिया होता और वहां मेरी मौत नहीं हुई होती, पिटाई हो गई होती, तो मैं इस राज्य सभा में नहीं आया होता ? ये बच्चे देश के भविष्य हैं जिनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please put the question.

श्री जनेश्वर मिश्र : इसलिए मैं श्रम मंत्री जी से साफ-साफ जानना चाहूंगा कि इन्होंने जिन 1 करोड़ 12 लाख बच्चों का नाम दर्ज बताया, वे किस उम्र के हैं? हमने लिखा है 5 साल से 10 साल, और 10 साल से 18 साल की उम्र के कितने बच्चे, कितने राज्यों में, राज्यवार और उम्रवार, घरेलू नौकरी में काम कर रहे हैं, यह सवाल हमने पूछा है, जिसका कि जवाब नहीं आया। इसलिए मैंने कहा कि हमारा सवाल तो उससे भी ज्यादा पीड़ा का शिकार हो गया, जितना कि बच्चे हैं। मैं इस पर निश्चित जवाब चाहूंगा? ये 1 करोड़ 12 लाख नहीं हैं बल्कि मेरे ख्याल में वे 10 करोड़ के आस-पास हैं और इस का जवाब ढूंढना होगा। पहले की सरकारों ने नहीं ढूंढा, वह अलग बात है। अब की सरकार ढूंढे, यह चाहिए क्योंकि मैं जानता हूं कि बच्चों के सवाल को राजनीति उपेक्षा की निगाह से देखती है और सब से ज्यादा पीड़ा के शिकार घरों में नौकरी करने वाले बच्चे होते हैं। सर, मुझे यह भी रिपोर्ट मिली है कि लड़के नौकरी में गलती करने पर अगर दो चांटे खाते हैं तो लड़कियां 10 चांटे खाती हैं। उन के ऊपर अन्याय ज्यादा होता है और इस बारे में सरकार के पास कोई भी संस्था जांच करने के लिए है कि नहीं ? सर, मामूली खुफिया

एजेंसी भी जांच कर सकती हैं। मैं सलाह नहीं देना चाहता, लेकिन अगर बिजली का बिल चैक करने के लिए हर घर में आदमी जा सकता है तो किस घर में बच्चा नौकरी कर रहा है, क्या इस की जानकारी हासिल नहीं की जा सकती ? और जो बच्चे निकाल दिए जाते हैं, उन के पुनर्वास के बारे में क्या कार्यक्रम बनता है ? उन के सताए जाने पर उन को कौन सी कानूनी सहायता दी जाती है, किसी भी कानून में उन को सहायता दिए जाने का प्रावधान है कि नहीं या उन के कल्याण के लिए कौन सी योजना बनाई गई है, इस बारे में निश्चित तौर पर विचार किया गया है ...(व्यवधान)...

डा. सत्यनारायण जटिया : माननीय सभापति जी, जैसा कि माननीय जनेश्वर जी ने अपने प्रश्न में दो प्रकार की उम्र के बच्चों के संबंध में जानकारी चाही है और इस प्रश्न में 5 से 10 वर्ष और 11 से 18 वर्ष आयु के घरेलू कामों में लगाए जाने वाले और घरों में काम करने वाले लोगों के बारे में उन की चिंता है। सभापति जी, निश्चित रूप से संविधान में जो प्रावधान है और इस के लिए जो कानून बनाया गया है, उस में बच्चों के बारे में जो अवधारणा है, वह 14 वर्ष से कम उम्र के लोगों को बच्चों की श्रेणी में रखा गया है। इस दृष्टि से जो जानकारी गणना में दी गयी है, वह 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की गणना की जानकारी हैं। इसलिए 1971, 1981 और 1991 की ...(व्यवधान)...

श्री जनेश्वर मिश्र : घरेलू बच्चे इस में शामिल हैं ...(व्यवधान)...

डा. सत्यनारायण जटिया : घरेलू बच्चे इस में शामिल हैं।

श्री जनेश्वर मिश्र : आप ने अपने जवाब में लिखा है, घरेलू नौकरों के रूप में काम कर रहे व्यक्तियों से संबंधित आंकड़े नहीं रखे जाते...मैंने 'व्यक्तियों' शब्द पर एतराज किया था।

डा. सत्यनारायण जटिया : सर, बहुत स्पष्ट है कि यह जो हम ने अधिनियम बनाया है और जिस में हम ने व्यवसायियों की अनुसूची बनाई है जो 13 हैं और प्रक्रियाएं 51 तय की गई हैं, उन में जिन को खतरनाक कहा गया है, इन खतरनाक श्रेणियों में इन घरेलू नौकरों को नहीं रखा गया है। प्रश्न के उत्तर का आशय यह है कि इस दृष्टि से बाल श्रमिक की सीमा में तो वे आते हैं, किन्तु खतरनाक कामों में लगाए जाने वाले बच्चों की सीमा में नहीं आते हैं। हम ने इस प्रकार का उत्तर देने की कोशिश की है। ...(व्यवधान)...

श्री जनेश्वर मिश्र : सर, एक मिनिट। इन का जो जवाब है, आप भी सुन लीजिए। ''10 वर्षीय जनगणना के दौरान बाल श्रमिकों की संख्या संबंधित तथ्यात्मक जानकारी संकलित की जाती है। 1991 की जनगणना के अनुसार देश में बाल श्रमिकों की कुल संख्या 1 करोड़ 12 लाख है। घरेलू नौकरों के रूप में काम कर रहे व्यक्तियों से संबंधित आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।'' अब यें कह रहे हैं कि इन 1 करोड़ 12 लाख में घरेलू नौकर भी आते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इन दोनों वाक्यों को हम क्या समझें? यह मैं क्लैरीफिकेशन के रूप में पूछ रहा हूं।

डा॰ सत्यनारायण जटिया : सर, बहुत स्पष्ट है। 1991 की जनगणना के अनुसार देश में बाल श्रमिकों की कुल संख्या 1 करोड़ 12 लाख है। इस का मतलब है कि जिन को बाल श्रमिक कहा गया है, वह तो 1991 की जनगणना के अंतर्गत है। मैंने तो बताया है, खतरनाक कामों में लगने वालों की श्रेणी में घरेलू नौकर नहीं हैं और ये घरेलू नौकर खतरनाक श्रेणी के बाहर हैं। अब वह श्रेणी क्या है, उस में प्रक्रियाएं कौन-कौन सी हैं, उस में व्यवसाय कौन-कौन से हैं, इस को हम ने अधिसूचित किया है और आज की तारीख में उनकी संख्या 64 है। इन 64 प्रक्रियाओं में जो बच्चे लगाए जाते हैं, उनको खतरनाक श्रेणी में काम करने वाले बच्चे माना जाता है। और उनके ऊपर कानून के तहत कार्रवाई की जाती है, जो बच्चे खतरनाक श्रेणी में लगाते हैं।

श्री जनेश्वर मिश्र : सर, मैं सैकिंड सप्लीमेंटरी के रूप में...

श्री सभापति : आपने सैकिंड सप्लीमेंटरी कर तो लिया। अभी तो पूछा है आपने।

श्री जनेश्वर मिश्र : मैंने सैकिंड सप्लीमेंटरी नहीं पूछा, वह तो मैंने क्लेरिफिकेशन मांगा था।

श्री सभापति: नहीं, नहीं।

श्री जनेश्वर मिश्र : एक मिनट, सर।

श्री सभापति : नहीं नहीं। श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल।

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल : सभापति जी, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि अमेरिका, जो हमारे ऊपर सबसे बड़ी उंगली उठाता है और कहता है कि हमारे यहां बाल श्रमिक हैं, क्या यह सच है कि अमेरिका में 40 फीसदी 12 बरस के नीचे के बच्चे और 70 फीसदी 12 और 17 बरस के बीच के बच्चे काम कर रहे हैं ?

MR. CHAIRMAN: This question does not arise out of it.

श्रीमती सरला माहेश्वरी : सभापति महोदय, आधी-अधूरी और विलंबित क्रांतियों से जर्जर भारतीय समाज में शोषण के विभिन्न रूप हम देखते हैं और घरेलू नौकर भी शोषण का एक स्वरूप हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि क्या कभी आपने अलग से इस बात की जांच करने की कोशिश की कि आखिर क्या कारण हैं कि हमारे देश में इन घरेलू नौकरों की संख्या बढ़ती जा रही है ? ये घरेलू नौकर दोहरे शोषण का शिकार हैं—एक तरफ सामंती निष्ठुरता और दूसरी तरफ पूंजीवादी बर्बरता और अमानवीयता—और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इसके बावजूद आप हमारे सामने इस सदन में यह जवाब लेकर आते हैं कि आपने अलग से इनके लिए कोई आंकड़े नहीं रखे। अलग-अलग स्वैच्छिक संगठनों ने इस बारे में व्यापक अध्ययन किया है, वह अध्ययन ही आप अगर हमारे सामने लाते तो शायद सदन को जानकारी होती और आपको स्वयं भी जानकारी होती। बहरहाल, मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या आप घरेलू नौकरों पर जो हिंसा की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, इन वारदातों को देखते हुए इनको कानून की किसी

परिधि में लाने की कोशिश कर रहे हैं? इन बाल श्रमिकों के लिए, जो काम करते-करते सामंती परिवारों में तो बूढ़े हो जाते हैं, पूंजीवादी परिवारों में वे सस्ते श्रम के औज़ार के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या इनके लिए आप कोई भविष्य निधि की तरह की योजना बनाने का स्वरूप रखते हैं? यदि हां, तो कृपया इस बारे में रोशनी डालें।

डा॰ सत्यनारायण जटिया : सभापति महोदय, बाल श्रम के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि बाल श्रम परियोजनाएं देश में चलाई जा रही हैं और इन बाल श्रम परियोजनाओं में, देश में जो तरुण बाल श्रम परियोजनाएं हैं, उनमें सरकार ने प्रदेशों को आइडेंटिफाई किया है और बाल श्रम परियोजनाएं जिला समिति के आधार पर चलाई जाती हैं। जिला क्लेक्टर उसके अध्यक्ष होते हैं और प्रत्येक बाल श्रम परियोजना के अंदर, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना में ऐसे बच्चों को शामिल किया जाता है जो खतरनाक कामों में लगे होते हैं, उनको निकाला जाता है। फिर उसमें उनके शिक्षण का प्रबंध होता है। उसके शिक्षण के साथ-साथ उनके रहन-सहन की चिंता होती है और वे तीन वर्ष में प्राथमिक शिक्षण प्राप्त कर सकें, इस प्रकार का प्रयास किया जाता है। अभी हमने कुल 100 परियोजनाओं को स्वीकार किया हुआ है, देशभर में 93 परियोजनाएं चल रही हैं और इन परियोजनाओं के माध्यम से दो लाख बच्चों का पुनर्वास करना संभव हुआ है। इस तरह की ज्यादा परियोजनाएं चलाई जानी चाहिए, लेकिन इसके लिए ज्यादा धन की आवश्यकता होगी। संसाधनों की सीमितता होने के कारण भी इन सारी परियोजनाओं में जितने बाल श्रमिक चिन्हित किए गए हैं, उन्हें नहीं लिया जा सका और इन सारी बातों को करने के लिए राज्य सरकारों का सहयोग भी अपेक्षित है बाल श्रम परियोजनाओं के माध्यम से हमारा यह प्रयास है कि हम विस्थापित बच्चों का पुनर्वास कर सकें साथ ही साथ उनको स्थापित करने की दृष्टि से भी, उनके परिवार के जो लोग हैं, उनको भी रोजगार देने का प्रयास किया जाना चाहिए। जहां-जहां जिन बच्चों का आईडेंटिफिकेशन हो जाता है, जिनको खतरनाक कामों में लगाया गया है, सरकार को उनके परिवार के किसी व्यक्ति को काम देना चाहिए। यदि सरकार काम नहीं देती है तो सरकार को 5,000 रुपए जो जिला समिति बनी है, उसके पास जमा कराने चाहिए। जिस बच्चे को खतरनाक काम से निकाला गया है, जिस व्यक्ति ने उसको खतरनाक काम पर रखा हुआ था, उस पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगता है और इन 25,000 रुपयों पर जो ब्याज वगैरह इकट्ठा होता है, उससे उनका खर्चा चलाया जाता है। कुल मिलाकर ये योजनाएं हैं, जिन पर हम काम कर रहे हैं।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : घरेलू नौकरों को कानून की परिधि में लाने के बारे में बताइए।

डा॰ सत्यनारायण जटिया : सभापति महोदय, निश्चित रूप से हम इस पर विचार कर रहे हैं और हमारा श्रम मंत्रालय इस पर विचार करेगा। इसको किस प्रकार से कानून की शक्ल दी जाए, इस पर हम विचार करेंगे।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : महोदय, जवाब नहीं आया है।

SHRIMATI AMBIKA SONI: Mr. Chairman, Sir, I am sorry, the reply to the question is totally non-informative. The Minister has stated that he does not have any definite statistics about children working as domestic servants. He has quoted from the 1991 Census that 1.12 crore children are working as child labour. May I know from the hon. Labour Minister whether the Government has made any plan in the context of the next Census to find out specific information as to how many children are working as domestic servants ? He talked of children working in homes, not specifically in difficult or dangerous areas of work. But the recent report in the newspaper revealed that children either commit suicide or they are pushed off from terraces or are being killed in various inhuman ways. So, one cannot talk of this being no longer a non-dangerous sphere of work. Regarding 993 institutions which are getting Government grants to rehabilitate children who have been freed from the child labour, will these institutions be asked to look after the children or collect statistics about children working as domestic servants ?

डा. सत्यनारायण जटिया : महोदय, वास्तव में इस प्रकार की गणना करना बहुत कठिन काम है और जब-जब भी हमने खतरनाक कामों में लगे हुए बच्चों की गणना करने का काम शुरु किया है, उसमें हमको सामाजिक सहयोग या इस प्रकार के व्यवसायों में काम करने वाले लोगों का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ है। एक बार जब हमने यह अभियान चलाया, ऐसे बच्चों की गणना करने का काम शुरू किया तो हम देश भर में खतरनाक कामों में लगे हुए केवल 5 लाख बच्चों को ही आईडेंटिफाई करने में सफल हुए।

महोदय, घरेलू कामकाम में बच्चों को लगाना नहीं चाहिए, इस प्रकार के सरकारी आदेश जारी हुए हैं और सरकारी नौकरियों में लगे हुए जो अधिकारी वर्ग हैं, उनके लिए भी डी॰ओ॰पी॰टी॰ का एक आदेश जारी हुआ है जिसके तहत बच्चों को घरेलू कामों में लगाने की मनाही की गई है। इस प्रकार का आदेश भारतीय सेवाओं में कार्यरत अधिकारी वर्ग के लिए जारी हुआ है। निश्चित रूप से जो घरों में काम करने वाले बच्चे हैं और जो खतरनाक कामों में लगे हुए हैं, इनके बारे में हमारी एक तकनीकी समिति है। उस तकनीकी समिति द्वारा इस बारे में विचार करने के बाद, उनकी जो सिफारिशें आएंगी, उनके आधर पर इनकों इसमें शामिल करने का काम किया जाएगा

SHRI J. CHITHARANJAN: Mr. Chairman, Sir, the hon. Minister has stated in his written reply that the children who were saved from hazardous labour are being rehabilitated. The rehabilitation work has been entrusted to

Voluntary agencies. I would like to know from the hon. Minister whether all the children who have been withdrawn from work have been covered under this scheme or still some more children out have to be covered. Will the Government make necessary arrangements to cover those children also for the purpose of rehabilitation.

Part (b) of my question is, in the case of domestic servants, will the Government make a study to find out the exact number of children who are engaged as housemaids?

Part (c) of my question is whether these voluntary agencies which are taking financial aid from the Government are utilising those amounts properly and rehabilitation work is being done properly. May I know from the Minister whether this has been examined by the Government?

डा॰ सत्यनारायण जटिया: घरेलू काम करने वाले बच्चों का कोई सर्वेक्षण किया जाएगा, इस प्रकार का माननीय सदस्य का पूछना है। निश्चित रूप से इस प्रकार घरेलू काम करने वाले बच्चों की जो संख्या है अन्य क्षेत्रों में भी बच्चे काम कर रहे हैं जैसे कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले जो मजदूर होंगे उनके बारे में यह चिंता हो सकती है। तो इस प्रकार का सर्वेक्षण करने के लिए प्रबंध हो सकता है। हमारी सारी सर्वेक्षण करने की पद्धति जनगणना पर आधारित होती है और जनगणना में जो विषय सामने रहते हैं उनमें इस प्रकार के विषय पर विस्तार में जाने की गुंजायश कम ही होती है किन्तु जैसा कि आपने बताया कि घरेलू बच्चों के बारे में भी जिस प्रकार से उनको यातनाएं देने का काम हो सकता है, खतरनाक काम में घरों में उपयोग करने का काम हो सकता है, उस चिंता से सहमत होते हुए मैंने कहा कि इसके लिए जो हमारी तकनीकी समिति बनी हुई है, उस तकनीकी समिति के सामने घरेलू कामकाज करने वाले बच्चों को उस श्रेणी में शामिल करना चाहिए, इस बारे में विचार करने के उपरान्त जो हमने 64 कामों में प्रतिषेध करने की हमने अनुसूची बनाई है आज जो विद्यमान है उसमें जोड़ने के लिए एक अवसर रह सकेगा। दूसरे, उन्होंने पूछा कि परियोजनाओं के लिए जो पैसा दिया जा रहा है, इन परियोजनाओं में दिए जाने वाले पैसे का दुरुपयोग हो रहा है या नहीं, इसको देखने के लिए क्या प्रणाली है? निश्चित रूप से यह प्रणाली जिला कलक्टर के अन्तर्गत है। किन्तु हम ने मंत्रालय में भी इसका पर्यवेक्षण करने के लिए एक पद्धति बनाई है जो दोनों के आधार पर इस बात को जांचने का काम करती है कि पैसा सही प्रकार से लगाया जा रहा है या नहीं लगाया जा रहा है।

श्री नरेन्द्र मोहन: घरेलू उद्योगों के लिए... (**व्यवधान**)

MR. CHAIRMAN: Now, next question. question No. 163. Chaudhary Chunni Lal. Note there, Shri Prem Chand Gupta.